

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.



अपील संख्या 94/2020 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2020/00095)

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. जगजीत सिंह  | पुत्रगण स्व. श्री हरनेक सिंह जाति जटसिख<br>निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर, जिला<br>हनुमानगढ। |
| 2. गुरजीत सिंह |  |

अपीलान्ट्स

बनाम

- |  |  |
|--|--|
| 1. बलकरण सिंह  | निवासीगण ढाणी<br>अराईयान तहसील<br>नोहर, जिला<br>हनुमानगढ |
| 2. जोगेन्द्र सिंह  |  |
| पुत्रगण स्व. श्री अजमेर सिंह जाति जटसिख                                    |  |
| 3. करणपाल कौर पत्नी स्व. श्री बलदेव (फौत)<br>नाम हटाया गया आदेश 14.12.2022 |  |
| 4. गरदीप सिंह  |  |
| 5. मनदीप सिंह  |  |
| 6. रणजीत सिंह  |  |
| 7. जगदीप सिंह  |  |
| 8. बलविन्द्र सिंह  |  |
| पुत्रगण स्व. श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख                                    |  |
| 9. राजस्थान राज्य  |  |

रेस्पोडेंट्स

- उपस्थित:
- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. श्री ज्ञान सिंह विश्‍नोई | — अभिभाषक अपीलान्ट्स       |
| 2. श्री राजेश बैद           | —अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2 |
| 3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली | — राजकीय अभिभाषक           |

निर्णय

दिनांक: 17.04.2023

- यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ) के अपील सं. 102/2015 निर्णय दिनांक 31.08.2020 के विरुद्ध पेश हुई है।
- अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 बलकरण सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में तहसीलदार नोहर द्वारा स्वीकृत चक नं. 28 एन.टी.आर. के इन्तकाल सं. 539 दिनांक 14.02.2014 के विरुद्ध अपील पेश कर उसे अपास्त करने का निवेदन किया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 31.08.2020 द्वारा उक्त अपील को स्वीकार कर आदेश दिनांक 14.02.2014 को अपास्त कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत

||  
अति.संभागीय आयुक्त  
बीकानेर



कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.08.2020 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोंडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट सं. 9 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट सं. 1, 4, 5, 6, 7, 8 को जरिये सम्मन सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं आये। इनके विरुद्ध एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. अपीलांत के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट्स के पिता स्व. श्री हरनेक सिंह ने चक 30 एन.टी.आर, तहसील नोहर के प.नं. 316/418 के मु. नं. 25 के किला नं. 11 में 0.253, किला नं. 20 में 0.253, किला नं. 21 में 0.253, व प. नं. 316/419 के मु.नु. 30 के किला नं. 1 में 0.253, किला नं. 10 में 0.253, किला नं. 11 में 0.253, किला नं. 12 में 0.253, व प. नं. 318/423 के मु.नं. 63 के किला नं. 22 में 0.253, किला नं. 23 में 0.253, किला नं. 24 में 0.253, किला नं. 25 में 0.215, व प. नं. 311/425 के मु. नं. 90 के किला नं. 24 में 0.164, 94/49 में 0.025 व 96/37 में 0.038 कुल किला 14 की 2.972 हैक्टर कृषि भूमि एवं चक 28 एन.टी. आर तहसील नोहर के प. नं. 320/419 के मु.नं. 34 के किला नं. 1 में 0.253 किला नं. 2 में 0.253, किला नं. 3 में 0.253 कुल 0.759 हैक्टर कृषि भूमि वर्ष 1961 में पुख्ता आवंटन से स्वयं द्वारा अर्जित आय से खरीद की थी। अपीलान्ट्स के पिता ने अपनी उक्त स्व:अर्जित कृषि भूमि एवं अपने पिता से हिस्से से आई कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 23.02.2004 को अपीलान्ट्स के पक्ष में की थी, जो नोटेरी से तस्दीकशुदा थी। वर्ष 2008 में प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 ने अपीलान्ट्स के पिता के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी नोहर में एक वाद 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि परिवार की संयुक्त आय से हरनेक के नाम क्रय की गई थी। इस कारण उपरोक्त कृषि भूमि में स्व. अजमेर सिंह के प्रत्येक पुत्र का 1/5 - 1/5 हिस्सा है। इस वाद में अपीलान्ट्स के पिता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर वाद का खण्डन कर स्पष्ट किया कि वह वर्ष 1961 से पूर्व अपने पिता अजमेर सिंह



अलग हो गया तथा अपना अलग मकान बनाकर अलग निवास व खेतीबाड़ी करने लगा। समस्त दस्तावेज अपीलान्ट्स के पिता के पक्ष में होते हुए भी उपखण्ड अधिकारी ने उक्त कृषि भूमि को हिन्दु, अविभक्त खानदान की संयुक्त सम्पत्ति मानकर, दावा दिनांक 30.11.2011 को डिक्री कर दिया, जिसके विरुद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ में की गई। अपीलान्ट्स के पिता हरनेक का दिनांक 15.05.2012 को देहान्त होने पर उक्त अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो गई। पिता के स्वर्गवास हो जाने के बाद उसकी अन्य कृषि भूमि के साथ उक्त भूमि का भी नामान्तकरण सं. 539 दर्ज हुआ जिसे न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर ने उपखण्ड अधिकारी के दिनांक 30.11.2011 के निर्णय के आधार पर चुनौती दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय पर केन्द्रित होकर, अपीलार्थीन निर्णय पारित किया जो विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.08.2020 को निरस्त किया जावे।


5. रेस्पोंडेन्ट सं. 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा डिक्री में हमें 1/5 -1/5 का हिस्सा माना है। हरनेक सिंह को उक्त भूमि की वसीयत करने का पांवर नहीं था, इस प्रकरण में दावे की अपील अभि विचाराधीन चल ही है जिसमें भूमि का हक व हिस्सा तय होना है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।
6. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रश्नगत अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 31.08.2020 के विरुद्ध पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर ने उक्त निर्णय के द्वारा चक 28 एन.टी.आर. तहसील नोहर के नामान्तकरण सं. 539 दिनांक 14.02.2014 को निरस्त किया है। उक्त नामान्तकरण वसीयत के आधार पर दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में विधिक रूप से नामान्तकरण की अपील के स्थान पर

जिला अतिरिक्त न्यायालय, जलंधर, पंजाब



वशीयत के आधार पर दिये गये मूल आदेश की अपील संघारण योग्य थी, जिसका अपीलीय क्षेत्राधिकार अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में निहित नहीं है बल्कि अदालतवाला को है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन होने से अपास्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अपील में अपीलधीन भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 30.11.2011 एवं उसके विरुद्ध अपील विचाराधीन होने का कथन किया गया है, जिसके सन्दर्भ में भी विवेचना की जानी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर का निर्णय दिनांक 31.08.2020 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार नोहर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनकर, उक्त प्रकरण में विचाराधीन अपील आदि के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 17.04.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(ए.प्रच.गौरी)  
अति.संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर